जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी **श्री ग्यारसी लाल मीना** **अध्यक्ष**
श्रीमती हेमलता अग्रवाल **सदस्या**

परिवाद संख्या :– 47/2022

पंकज माण्डा पुत्र हरीराम माण्डा जाति जाट उम्र ... वर्ष निवासी– सनसिटी ओरिजन बडपीपली स्टेण्ड नीदड सीकर रोड, जयपुर थाना हरमाडा जयपुर।

परिवादी

बनाम

1. रिलायंस रिटेल लिमिटेड जरिये निदेशक/ प्रबंधक/मैनेजर/हस्ताक्षरकर्ता। पता– आनन्द भवन सेकिण्ड फ्लोर संसार चन्द्र रोड, जयपुर– 302001
2. रेनजर फर्मस लिमिटेड जरिये निदेशक/प्रबंधक/मैनेजर/हस्ताक्षरकर्ता /ऑथोराईज्ड पता– गैलेक्सी स्टार, ए–2, सेन्ट्रल स्पाईन न्यू विद्याधर नगर, थाना विद्याधर नगर, जयपुर।

विपक्षीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

उपस्थितः–

01. श्री बनवारी कुमावत अधिवक्ता परिवादी।
02. विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

परिवाद प्रस्तुति दिनांकः– 10.01.2022

निर्णय **दिनांकः– 14.12.2023**

01. परिवादी ने यह परिवाद धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत पेश किया।
02. परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं0 1 की डीलरशीप शाखा विपक्षी सं0 2 के स्टोर से दिनांक 11.12.2021 को जरिये बिल नम्बर 82 के जरिये कुल 2019.77/–रूपये का सामान क्रय किया गया। बिल में मद संख्या 4 में वर्णित सामान ''गोदरेज एक्सपर्ट क्रीम हेयर कलर डार्क ब्राउन'' 20 जी पी पी की कीमत 33.25/–रूपये लगायी गई जबकि उक्त सामान की कीमत पर 2/–रूपये की छूट थी। उक्त सामान की वास्तविक कीमत छूट प्रदान करने के पश्चात 31/–रूपये थी। इस

प्रकार विपक्षी सं0 2 द्वारा परिवादी से 2/–रूपये अधिक वसूल किये गये तथा चारमीनार ब्राउन एक के.जी पी पी की कीमत 92/–रूपये लगायी गई जबकि उक्त सामान की कीमत पर 13/–रूपये की छूट थी तथा छूट प्रदान करने के पश्चात उसकी कीमत 79/–रूपये थी। इस प्रकार विपक्षी सं0 2 द्वारा परिवादी से 13/–रूपये अधिक वसूल किये गये। इस प्रकार परिवादी विपक्षी संख्या 1 व 2 से उक्त सामान पर अधिक वसूल की गई राशि 15/–रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षीगण के अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण परिवादी व उसके परिवाद को काफी आर्थिक, मानसिक वेदना से गुजरना पड़ा है। अंत में परिवादी ने विपक्षीगण से अधिक वसूल की गयी राशि 15/–रूपये तथा मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय आदि दिलाए जाने का अनुरोध किया।

03. विपक्षीगण की ओर से बावजूद नोटिस तामिल कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

04. परिवादी की ओर से स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तथा साक्ष्य में शपथ–पत्र भी पेश किया गया।

05. हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

06. इस प्रकरण में दिनांक 13.04.2023 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। विपक्षीगण को रजिस्ट्री प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ है तथा परिवाद तथ्यों के खण्डन में कोई जवाब पेश नहीं किया है और न ही परिवाद का विरोध किसी भी प्रकार से किया गया है। परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया है तथा बिल की फोटो प्रति व उक्त क्रय किये गये सामान के कीमत का लेबल पेश किए है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों विपक्षीगण द्वारा परिवादी से गोदरेज एक्सपर्ट क्रीम हेयर कलर डार्क के 2/–रूपये तथा चारमीनार ब्राउन एक के.जी. के 13/–रूपये, इस प्रकार कुल 15/–रूपये की अधिक राशि वसूल की गई जो कि सेवादोष व अनुचित व्यापार प्रथा की श्रेणी में आता है।

07. परिणामतः परिवादी, विपक्षीगण से 15/–रूपये की राशि मय समुचित क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय के प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

अतः परिवादी का परिवाद विरूद्ध विपक्षीगण, एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:–

1.विपक्षीगण, संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से परिवादी को 15/– रूपये अधिक वसूल की गयी राशि, 10000/– रू. मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के पेटे तथा 5000/– रू. परिवाद व्यय के, कुल 15015/– (अक्षरे पन्द्रह हजार पन्द्रह रूपये) आज से एक माह में अदा करें अन्यथा परिवादी उक्त राशि पर आज की तारीख से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2.परिवादी इस आदेश की एक–एक प्रति विपक्षीगण को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को खुले आयोग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीमती हेमलता अग्रवाल)
सदस्या

(ग्यारसी लाल मीना)
अध्यक्ष